

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 1475/एटा/13615/2015, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 13, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : एटा में टुण्डला-एटा मार्ग (एस0एच0-31) के किमी0 26.088 की बायीं पट्टी पर ग्राम-बाबरपुर के खसरा सं0-988 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.092976 हे0 (संशोधित 0.075038 हे0) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/29/2016/एफसी/357, दि0 01.11.2016, शासन का पत्रांक-भा0स0-240/14-2-2016-800(130)/2016, दिनांक 09.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को उ0प्र0शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा, शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे उक्त कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक-1780/14-1, दि0 11.01.17 द्वारा बिन्दुवार सूचनायें एवं अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः उक्त सूचनाओं एवं अभिलेखों की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि एक प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1475 / , उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, एटा।
- 3- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, से0-3, नोएडा।

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।